

डा० अजीज कुरैशी
राज्यपाल, उत्तराखण्ड
एवं

कुलाधिपति, उत्तराखण्ड मुक्त
विश्वविद्यालय (नैनीताल)



राजभवन
उत्तराखण्ड देहरादून

संख्या 3048/जी०एस०/C7-6/शिक्षा/2012
देहरादून दिनांक 24 नवम्बर, 2012

आदेश

डा० विनय कुमार पाठक, कुलपति का कार्यकाल दिनांक 24-11-2012 को समाप्त होने के पश्चात कुलपति के दैनिक कर्तव्यों का निर्वहन उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय प्रथम परिनियमावली, 2009 के अध्याय-तीन के परिनियम-4(10) में दी गई व्यवस्था के अन्तर्गत नितान्त अस्थायी रूप से नियमित कुलपति की नियुक्ति अथवा अग्रिम आदेशों, जो भी पहले हो, तक प्रो० एच०पी० शुक्ला, प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी द्वारा किया जायेगा।


उक्त अस्थायी व्यवस्था की अवधि में कुलपति के रूप में कोई नियुक्ति व नीतिगत निर्णय कुलाधिपति के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं लिया जायेगा।

डा० अजीज कुरैशी
कुलाधिपति।

संख्या ³⁰⁴⁸ (1)/जी०एस०/C7-6/शिक्षा/2012 दिनांक : 24 नवम्बर, 2012

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रो० एच०पी० शुक्ला, प्रोफेसर, अंग्रेजी विभाग, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी।
5. डा० विनय पाठक, कुलपति, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी(नैनीताल)।
6. कुलसचिव, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी- नैनीताल।
7. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाइल।


(अशोक)

कुलाधिपति के प्रमुख सचिव।